

27-11-19 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में पत्रावली  
में विपक्षीय तथा उनके अधिकारों का  
अनुपस्थिति। तीन बार अलग अलग समय में  
आवाज लगावाई गई जिसके बावजूद भी कोई  
उपस्थिति नहीं हुई। अतः प्रकरण अल्पसंख्यक  
अल्प पक्ष में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के सल सुमार है।

(Maya)  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

